

**प्ररूप-ड.
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति**

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
लो.नि.वि. राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग कमांक-01
रायपुर(छ.ग.)

विषय :- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

---000---

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 21.05.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग का संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 12.06.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:-

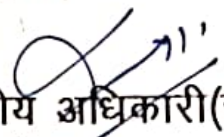
स.क.	ग्राम का नाम	भूमि(मार्ग) का राजस्व रिकार्ड में दर्ज मद	खसरा नम्बर	भूमि पर स्थित वृक्षों की संख्या	टीप
1	मजरकट्टा	शासकीय भूमि	1087 रकबा 2.70हे.	29	प्रजातिवार वृक्षों की सूची संलग्न
2	गरियाबंद	शासकीय भूमि	45/1 रकबा 6.159हे.	131	प्रजातिवार वृक्षों की सूची संलग्न
3	डोंगरीगांव	शासकीय भूमि	105 रकबा 1.66 142 रकबा 3.63	89	प्रजातिवार वृक्षों की सूची संलग्न
4	केशोडार	शासकीय भूमि	36 रकबा 1.83	58	प्रजातिवार वृक्षों की सूची संलग्न

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि-

- (1) खसरा नम्बर 1087, ग्राम-मजरकट्टा, प.ह.नं. 06, तहसील-गरियाबंद स्थित वृक्ष जिनकी संख्या 29, प्रजातिवार सूची संलग्न।
- (2) खसरा नम्बर 45/1 ग्राम गरियाबंद, प.ह.नं. 10, तहसील-गरियाबंद स्थित वृक्ष जिनकी संख्या 131, प्रजातिवार सूची संलग्न।
- (3) खसरा नम्बर 105, 142 ग्राम-डोंगरीगांव, प.ह.नं. 08, तहसील-गरियाबंद स्थित वृक्ष जिनकी संख्या कमशः 78, 11 प्रजातिवार सूची संलग्न।
- (4) खसरा नम्बर 36 ग्राम-केशोडार, प.ह.नं. 08, तहसील-गरियाबंद स्थित वृक्ष जिनकी संख्या 58 प्रजातिवार सूची संलग्न, को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।


अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
गरियाबंद

पृ.क्रमांक / 19/34 / अ.अ. / वा-1 / 2025
प्रतिलिपि :-

गरियाबंद दिनांक 27/6/2025

1. कलेक्टर महोदय गरियाबंद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल गरियाबंद को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अनुविभागीय अधिकारी, रा.रा.लो.नि.वि. उपसंभाग क्रमांक 01 रायपुर को सूचनार्थ।
4. तहसीलदार गरियाबंद को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।



अनुविभागीय अधिकारी (व.)
अनुविभागीय अधिकारी (व.)
गरियाबंद